



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर डकैती कर गम्भीर चोट पहुंचाने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना राठ में पंजीकृत मु0अ0सं0-704/2009 धारा-395,397,412 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय डकैती कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त हरीकोरी पुत्र रमजू कोरी निवासी मियांपुरा थाना राठ जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास व प्रत्येक को ₹10,000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी सुभाष कुमार
श्रीवास्तव



विवेचक-
निरी0 विवेकानन्द
तिवारी



पैरोकार- थाना राठ
का0 सर्वज्ञ